न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–16.10.2025

मिशल संख्या 197 / 2019

उनवानी प्रार्थना पत्र :

बदामा पुत्र श्री प्रतापा मीणा निवासी देवपुरा तहसील दूनी जिला टोंक।

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
बदाम पुत्री औंकार जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 858 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 1304 रकबा 0.23 है0 खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.28 है0 खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.15 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0, ग्राम देवपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान उक्त भूमि का वादि काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से वादी के उक्त भूमि में वादी का नाम बदाम व पिता का नाम औंकार इन्द्राज कर दिया गया है। जबकि वादी स्वंय का नाम बदाम के बजाय बदामा एवं पिता का नाम औंकार की बजाय प्रतापा है। अर्थात उक्त भूमि में वादी को बदामा पुत्र प्रतापा है। औंकार के दो पुत्र रामदवे व प्रतापा है तथा पुत्रीया कमला, मनभर, नन्दु है तथा प्रतापा का नाम बदामा (वादी) है। कर्मचारियों द्वारा सहवन से वादी का स्वंय का नाम व पिता का नाम गलत इन्द्राज कर दिया को सही इन्द्राज करवाने के लिए यह दुरस्तीकरण का वाद पेश है। वादी की अन्य खातेदारी भूमि देवलीगांव में स्थित है। जिसमें वादी का नाम बदामा पुत्र प्रतापा है। तथा दस्तावे ग्राम देवपुरा में वादी का नाम सही है। जिसमें भू प्रबन्ध के कॉलम संख्या 25 में जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 के खाता संख्या 151, जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 के खाता संख्या 149 में नामान्तरण संख्या 293, नामान्तरण संख्या 314 में वादी का सही नाम बदाम पुत्र प्रतापा ही इन्द्राज है। वाद वर्णित भूमि में सहवन से गलत इन्द्राज हो गया। आराजी खसरा न0 858 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 1304 रकबा 0.23 है0 खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.15 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 ग्राम देवपुरा तहसील देवली में वादी का नाम बदाम पुत्री औंकार के बजाय बदामा पुत्र प्रतापा इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकार्ड का दुरस्ती किया जाना आवश्यक है। यदि वादी का उक्त भूमि सही नाम व पिता का भी सही नही किया गया तो वादी को अपनी उक्त भूमि में अपने अधिकारों का उपयोग, उपभोग करने में परेशानी होगी व हो रही है। दावा हाल ही उत्पन्न हुआ जब वादी अपनी उक्त भूमि में अपनें स्वंय का नाम बदामा व पिता का नाम प्रतापा इन्द्राज कराने के लिए कई प्रयास किये परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई सुनवाई नही करने के कारण उत्पन्न हुआ है तथा यह दावा पेश करन आवश्यक हुआ है। वादी द्वारा इस वाद में उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नाम को भी पक्षकार बनाया गया है। उक्त भूमि में दर्ज

खातेदार से अनुतोष नही चाहा गया है। इस कारण पक्षकार नही बनाया गया है। विवादित आराजी ग्राम देवपुरा तहसील देवली मे स्थित होने से श्रीमान् के क्षैत्राधिकारी में स्थित होने से प्रस्तुत वाद को सुनने का अधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। वाद अन्तर्गत 88, 209 आरटीएक्ट के तहत उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार किया जावें कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 858 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 1304 रकबा 0.23 है0 खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.28 है0 खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.15 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 ग्राम देवपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में वादी का स्वंय का नाम बदामा व पिता का नाम प्रतापा नाम इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरस्तीकरण कर अमल दरामद किया जावें। अर्थात उक्त भूमि में वादी का नाम बदाम की बजाय बदामा व पिता का नाम औंकार की बजाय प्रतापा इन्द्राज किया जावें। अन्य सहायता जो वादी गण के हित में हो धारा 209 आरटीएक्ट के तहत प्रदान की जावें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से तहसीलदार ने जवाब दावा पेश किया। चरण संख्या 1 गें अंकित आराजी भूमि खसरा नम्बर 858 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 1304 रकबा 0.23 है0 खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.28 है0 खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.15 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.89 है0 मुताबिक जमाबंदी ग्रांम देवपुरा तह0 देवली स्वीकार है। शेष सिद्ध करने का भार वादी पर है। चरण संख्या 2 अस्वीकार है मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम देवपुरा संख्या 2036 से 2039 खाता संख्या 151 बदाम पुत्र प्रताप भू प्रबन्ध से पूर्व ही इन्द्राज बदस्तूर चला आ रहा है। वारिसान सजरा सही है या नही उक्त इन्द्राज तत्समय गलत किस प्रकार हुआ । इसको सिद्ध करने का भार वादी पर है। चरण संख्या 3 ,4 सिद्ध करने का भार वादी का है। चरण संख्या 5,6,7,8,9 कानूनी एवं न्यायालय से संबंधित है। पत्रावली में तनकियात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी नें साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1, पी. डब्ल्यू–2, पी. डब्ल्यू–3 तथा बयान कलमबद्ध किये। वादी ने दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 9 करवाये। साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 व बयान में वाद के मुख्य तथ्य दावे के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल, खसरा पत्रक, नामांतरण, ग्राम पंचायत का प्रमाण है।

प्रतिवादी तहसीलदार ने कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में मुख्यतया वाद के बिन्दुओ को ही दोहराया।

पत्रावली का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है:–

तनकी नं. 1 आया आराजी खसरा न0 858 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 1304 रकबा 0.23 है0 खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.15 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 ग्राम देवपुरा तहसील देवली में वादीया का नाम बदाम के बजाय बदामा व पिता का नाम औंकार के बजाय प्रतापा दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का हकदार है ?

–वादीया–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इसके लिए प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श –2 खसरा पत्रक, प्रदर्श –3 जमाबंदी 2036–36, प्रदर्श–4–5 नामांतरकण, प्रदर्श –6 खसरा पत्रक, प्रदर्श –7 ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, प्रदर्श 8–9 जमाबंदी। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम देवपुरा संख्या 2036 से 2039 खाता संख्या 151 बदाम पुत्र प्रताप भू प्रबन्ध से पूर्व ही इन्द्राज बदस्तूर चला आ रहा है। वारिसान सजरा सही है या नही उक्त इन्द्राज तत्समय गलत किस प्रकार हुआ। इस सबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से उक्त रिकॉर्ड से वादीगण यह साबित

करने में असफल रहा कि बदाम के बजाय बदामा व पिता का नाम औंकार के बजाय प्रतापा दुरूस्त किया जावे। अतः तनकी नं. 1 का निर्णय विरूद्ध वादी, प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 आया प्रतिवादी , वादी द्वारा वाद के मुताबिक राजस्व रिकार्ड पेश नही करने के कारण वाद खारिज योग्य है ?

–प्रतिवादी –

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम देवपुरा संख्या 2036 से 2039 खाता संख्या 151 बदाम पुत्र प्रताप भू प्रबन्ध से पूर्व ही इन्द्राज बदस्तूर चला आ रहा है। वारिसान सजरा सही है या नही उक्त इन्द्राज तत्समय गलत किस प्रकार हुआ। इस संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से उक्त रिकॉर्ड से वादी का वाद साबित नही होता है। अतः तनकी नं. 2 विरूद्ध वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः तनकीवार विवेचन से यह सिद्ध होता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम देवपुरा संख्या 2036 से 2039 खाता संख्या 151 बदाम पुत्र प्रताप भू प्रबन्ध से पूर्व ही इन्द्राज बदस्तूर चला आ रहा है। तथा नाम व पिता का नाम दुरूस्त किये जाने हेतु आवश्यक रिकार्ड दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किये गये है। अतः वादी का वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 16.10..2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली